

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्लीपर बसों की जाँच

नवभारत न्यूज

ग़ालियर 17 जनवरी। ग़ालियर शहर से प्रदेश व देश के शहरों के बीच चल रही स्लीपर बसों की यात्रियों की सुरक्षा को

परिवहन विभाग की टीम ने 20 स्लीपर बसों की जाँच की 10 बसों से हटाए केविन के दरवाजे

ध्यान में रखकर जाँच की जा रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग को अभियान बतौर स्लीपर बसों की जाँच करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में शनिवार को 20 से अधिक स्लीपर बसों की जाँच की गई। प्रोत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग ने बताया कि स्लीपर बसों के निरीक्षण के दौरान



खासतौर पर ड्राइवर पार्टीशन, केबिन दरवाजा, स्लाइडर्स व फायर सिस्टम की जाँच की गई। इस दौरान 10 से अधिक बसों से केबिन दरवाजे तत्काल हटाए गए। साथ ही एफडीएसएस फायर सिस्टम लगवाने के निर्देश बस संचालकों को दिए गए।

साथ ही स्पष्ट किया गया कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ बसों में कोई समझौता न हो, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जायेगी।

बसों के निरीक्षण के लिये गई टीम में आरटीआई प्रयोग नाहर, अनवर खान, उम्मेद बेग आदि शामिल थे।

विकसित भारत 2047 पर आधारित प्रदर्शनी 19 जनवरी से

ग़ालियर 17 जनवरी। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग़ालियर में दो दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 19 एवं 20 जनवरी को आयोजित होगी।

प्रदर्शनी में विकसित भारत @2047, नेक्स्ट जेन जीएसटी तथा वीबी-जी राम-जी विषयों पर आधारित छायाचित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्देश्य आम नागरिकों को भारत सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं, विकाससमक उपलब्धियों तथा भविष्य की विकास दृष्टि से अवगत करना है। यह प्रदर्शनी सभी के लिए निःशुल्क रहेगी। प्रदर्शनी 19 जनवरी को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक तथा 20 जनवरी को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी।

विवाह से संबंधित व्यवसायों के नियम एवं शर्तों में एक रूपाटी के लिए कार्य करेगा चेम्बर ऑफ कॉमर्स

नवभारत न्यूज

ग़ालियर 17 जनवरी। मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री में आज शाम 04.30 बजे से समूह क्रमांक 38 (विवाह व्यवसाय), समूह क्रमांक-39 (सिनेमा, आर्म्स एवं कारपेट व्यवसाय) तथा समूह क्रमांक-40 (चाय एवं फल व्यवसाय) के सदस्यों के साथ चेम्बर संवाद 'चेम्बर भवन' में आयोजित किया गया। आज आयोजित संवाद में व्यवसायियों ने बताया कि विवाह व्यवसाय में प्रमुख रूप से मैरिज गार्डन, कैटरर्स एवं टेंट हाउसों के नियमों में एकरूपता न होने के कारण कई व्यवहारिक परेशानियाँ आती हैं और कई बार कारोबारियों को पूरा भुगतान भी नहीं मिल पाता है, वहीं कई बार व्यवहार एवं संबंधों के चलते लोग फायनल पेमेंट को समायोजित करने के लिए भी कहते हैं, जिससे कारोबारियों को मुनाफा न होकर कई बार घाटे का सामना करना



पड़ता है। इसके साथ ही वर्तमान में शहर से दूर विवाह स्थल स्थापित हो गये हैं, वहां पर पुलिस थाने भी स्थापित नहीं है। इसलिए शहर से दूर विवाह स्थलों पर पुलिस गश्त होना चाहिए। चाय के सेम्पल के लिए भोपाल में जो लैब है वहां एक्सपर्ट टेस्टर नहीं होने से सेम्पल फेल कर दिये जाते हैं तथा चाय के सेम्पल पास होने के लिए क्या मानक होने चाहिए, इसके लिए भी मानक विभाग द्वारा कारोबारियों को नहीं बताया जाते हैं। मानकों की जानकारी कारोबारियों को दी जाना चाहिए। साझ में सब्जी मण्डी, फल मण्डी एवं बीज व खाद विक्रेताओं के लिए संयुक्त रूप से जगह निर्धारित कर, वहां सब्जी मण्डी बनाई जाना चाहिए ताकि

एक ही स्थान पर सभी कारोबार हो सकें। ग़ालियर में आर्म्स कारोबारियों के लायसेंस रिन्यू करने में विलंब हो रहा है जबकि भिण्ड-मुरैना में यह आसानी से रिन्यू हो रहे हैं, इस पर कार्यवाही की जाना चाहिए। इससे पूर्व बैठक में मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल द्वारा चेम्बर संवाद आयोजित करने के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात चेम्बर में आकर रखने के लिए एवं 'संवादा' कार्यक्रम इस कार्यकाल में प्रारंभ किया गया है। इसका विचार उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल द्वारा दिया गया था, जिसे मूल रूप से इस कार्यकाल में दिया गया। आपने चेम्बर की गतिविधियों एवं

कार्यों से सदस्यों को अवगत कराया। सदस्यों द्वारा रखी गई समस्याओं पर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि विवाह व्यवसाय के कारोबारियों को आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए नियम एवं शर्तों में एकरूपता लाने के लिए प्रभावी कार्य किया जायेगा ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं चाय के लिए निर्धारित मानकों की जानकारी प्राप्त कर, कारोबारियों को अवगत कराया जायेगा। बैठक का संचालन मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल द्वारा तथा आभार उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य-बुजेश गुप्ता, अनूप साहू सहित चेम्बर सदस्य-नरेश खड्डेलवाल, दीपक बंसल, डॉ. किशनरूप मंगल, राजेन्द्र सूरी, शैलेन्द्र बंसल, जगदीश अग्रवाल, गिरीश शर्मा, विनायक गुप्ता, रामजीत सिंह राजपूत, अरुण बंसल, मनोहर लाल भल्ला, दीपक कुमार गर्ग आदि उपस्थित रहे।

बेटे के नाम गैंग रेप का हवाला देकर बुजुर्ग पिता से ठगे 50 हजार

नवभारत न्यूज

ग़ालियर 17 जनवरी। तुम्हारे बेटे को गैंग रेप में गिरफ्तार कर लिया है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो फिर 50 हजार रुपए देने पड़ेंगे। यह धमकी देकर साइबर ठगों ने बुजुर्ग से 50 हजार रुपए ठग लिए। बुजुर्ग से ठगी की रकम और बड़ सकती थी, लेकिन उसी समय उनका बड़ा बेटा पहुंच गया और जब उसे पूरे मामले की जानकारी लगी तो तुरंत उसने हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर इसकी शिकायत की। घटना पिछले वर्ष 13 अगस्त की है और साइबर सेल में जोरी पर मामला कायम करने के बाद जांच के लिए महाराजपुरा थाने भेजा गया है। राजेन्द्र प्रसाद शर्मा 74 वर्ष अपनी पत्नी व बेटे के साथ आस्था नगर महाराजपुरा में रहते हैं। पिछले वर्ष 13 अगस्त की सुबह उनके मोबाइल पर कॉल आया और फोन करने वाले ने स्वयं को

पुलिस अधिकारी बताया। फोन करने वाले ने कहा कि तुम्हारे बेटे सुनील को गैंग रेप के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो फिर 50 हजार रुपए देने होंगे। बुजुर्ग राजेन्द्र शर्मा इस धमकी से बुरी तरह से डर गए और अपने बेटे को बचाने के लिए दो बार में 50 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। उसी समय बड़ा बेटा आ गया और उसने फोन करने वाले से बात की और वह तुरंत समझ गया की ठग है। राजेन्द्र शर्मा की जब इस बात का पता चला तो साइबर क्राइम हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज करा दी।

साइबर ठगों ने जिस खाते में 50 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए थे वह भारतीय स्टेट बैंक की मुरैना जिले की ब्रांच राधिका पैलेस का निकला। खाता किसी प्रशांत परमार निवासी उम्मेदगढ़, जौरा जिला मुरैना के नाम से है।

मेले में सजी पत्थर शिल्प परंपरा बनी सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र

नवभारत न्यूज

ग़ालियर 17 जनवरी। बेजान पत्थर को आकार देकर उपयोगी और कलात्मक रूप देकर जीवंत बनाना भारतीय शिल्प परंपरा की अनूठी पहचान रही है। सदियों से यह हुनर पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता आया है। शिल्पकारों को अपनी कला दिखाने तथा आजीविका अर्जित करने का सबसे सशक्त मंच सदैव वे भारतीय मेले हैं। इसी परंपरा को ग़ालियर व्यापार मेला जीवंत बनाए हुए है। मेले में सजा देशज शिल्प सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

इस वर्ष ग़ालियर मेले में पत्थर शिल्प की दुकानों ने भी खास पहचान बनाई है। छत्री क्रमांक 19 एवं 20 के मध्य शिल्पकार विनय कुमार द्वारा लगाई गई पत्थर शिल्प की दुकान सैलानियों को विशेष रूप से आ रही है। पत्थर से गढ़ी गई धरेलू उपयोगी की वस्तुओं से लेकर आकर्षक सजावटी सामान दूर से ही सैलानियों को अपनी ओर खींच



लेते हैं। पत्थर से गढ़े गए इन शिल्प नमूनों की खरीदारी सैलानी उत्साहपूर्वक कर रहे हैं। पत्थर शिल्पी विनय कुमार बताते हैं कि उनका परिवार लगभग आधी शताब्दी से ग़ालियर मेले में अपनी दुकान लगाता आ रहा है।

यह उनका पुस्तैनी व्यवसाय और विरासत में मिला हुनर है। पहले उनके पिता संजीत आदिवासी रिश्तेदारों के साथ मिलकर यह कार्य करते थे और

अब वही परंपरा हम आगे बढ़ा रहे हैं। विनय कुमार गौड़ जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। विनय कुमार के अनुसार उनके पूर्वज पहले कानपुर और फिर आगरा में आकर बसे थे। राजस्थान की खदानों से निकला मार्बल तथा ग़ालियर-चंबल अंचल के सफेद और बलुआ पत्थर को तराशकर विनय कुमार का परिवार एक से बढ़कर एक शिल्प नमूने तैयार करता है। देवी-देवताओं की छोटी-छोटी

आकर्षक मूर्तियाँ, मार्बल से बने पहलवानों के पसंदीदा बादाम पीसने के कूड़े, इलायची, लौंग व अन्य मसाले कूटने के खलबत्ते, सुरमा व दवाइयों के लिए नावनुमा खलबत्ते तथा बच्चों-बड़ों के लिए कलात्मक चकला-बेलन उनकी दुकान की खास पहचान हैं। इसके अतिरिक्त सफेद पत्थर से बनी आटा, दलिया और बेसन पीसने की चिकियाँ भी उपलब्ध हैं। मार्बल पत्थर को मोर, फूल-पते और कलश का रूप देकर तैयार की गई रंगीन घड़ियाँ भी सैलानियों का ध्यान खींच रही हैं।

सैलानी इन शिल्प नमूनों को स्मृति के रूप में अपने घर ले जा रहे हैं। विनय कुमार बताते हैं कि ग़ालियर मेले में उनकी दुकान से प्रतिवर्ष औसतन 5 से 6 लाख रुपये की बिक्री हो जाती है, वे कहते हैं कि मेले में ही उनके परिवार के हुनर को जीवित रखा है। ग़ालियर मेले के साथ-साथ देश के अन्य मेलों में दुकान लगाकर ही उनके परिवार की आजीविका चलती है।

अध्यात्म सत्संग समारोह में संत समाज का सम्मान

नवभारत न्यूज

ग़ालियर 17 जनवरी। सदगुरुदेव सतपाल महाराज की प्रेरणा से मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा इंटक मेदान में आयोजित दो दिवसीय अध्यात्म सत्संग समारोह के दूसरे दिन हरिद्वार से पधारे महात्मा हरि संतोषानंद ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए परमात्मा के आदि नाम का महत्व बताया। समारोह को संबोधित करते हुए महात्मा वर्धमानानन्द ने कहा कि मनुष्य के जीवन में दुःख का कारण मोह है और इस मोह से मुक्त होना ही मोक्ष है और इस मोह से छुटकारा पाए जा सके। आत्मज्ञानी संतों की शरण में जाने से ही मिलता है। सत्संग समारोह के दूसरे दिन गोपाल भाई और साधियों ने सुन्दर भजन प्रस्तुत किए। समारोह को साध्वी मिथलेश बाई टीकमगढ़, साध्वी शारदा बाई इन्दौर और आश्रम प्रभारी साध्वी हरीशा बाई ने संबोधित किया।



नगर के प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से संत समाज का सम्मान इंटक नेता राजेन्द्र सिंह नाती, मजदूर नेता रतीराम राम यादव, पार्षद हरि बाबू शिवहरे, आदि ने किया। समारोह का संचालन करते हुए राम बाबू कटार ने आभार व्यक्त किया।

नाम संशोधन सूचना
में SHAHID शय्य करता है कि मेरे पूर्व शाहपोट क्र. J6555597 में मेरा नाम SHAHID KHAN दर्ज है। जो कि गलत है जबकि मेरे अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड वोटरकार्ड आदि में मेरा नाम SHAHID दर्ज है जो कि सत्य व सही है। अतः वर्तमान में मुझे मेरे परिवारित नाम SHAHID से ही जाना पहचाना जाना है। भविष्य में भी मुझे SHAHID के नाम से ही जाना जावे।
S/O SHAHID -
SHAHID S/O SHAHZAD KHAN
Nai Sadak, Nale Ke Pass, Nalbanda
Ka Mohalla, Bavan Payga, Lashkar
Gwalior, Madhya Pradesh- 474001



माधव कॉलेज में हर्षोल्लास से मना पतंगोत्सव

नवभारत न्यूज

ग़ालियर 17 जनवरी। मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में माधव महाविद्यालय द्वारा 'पतंगोत्सव' का कार्यक्रम मनाया गया। मुख्य अतिथि डॉ. मनोज अवस्थी एवं डॉ. कौशलेन्द्र अवस्थी ने श्री राम के भजन से की, प्राचार्य ने भारतीय पारंपरिक विवाह के समय गाए जाने वाले बुंदेली लोकगीत को झलक अपनी प्रस्तुति द्वारा दी। सांस्कृतिक समिति के संयोजक डॉ. विकास शुक्ल, श्रीमती प्रेक्षा नाईक, डॉ. राजेश मिश्रा, डॉ. सरिता दीक्षित, डॉ. संतोष शर्मा, डॉ. निवेदिता पांचाल ने गीत गाए, डॉ. संगीता अग्रवाल, डॉ. योजना तिवारी, पुण्डरीक सिंह एवं कस्तूर ने राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत भजन प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में डॉ. मंदाकिनी शर्मा, डॉ. दीपि नारंग ने कविताएं प्रस्तुत कीं। डॉ. राकेश करहेरिया, दीप सिंह तोषर इत्यादि प्राध्यापकों ने कहानी एवं चुटकुले सुनाए।

क्रिया। रंगारंग कार्यक्रम में भजन, फिल्मी गीत, कहानी, कविता, चुटकुले इत्यादि प्रस्तुतियां हुईं, जिसकी शुरुआत शिक्षक प्रतिनिधि डॉ. मनोज अवस्थी एवं डॉ. कौशलेन्द्र अवस्थी ने श्री राम के भजन से की, प्राचार्य ने भारतीय पारंपरिक विवाह के समय गाए जाने वाले बुंदेली लोकगीत को झलक अपनी प्रस्तुति द्वारा दी। सांस्कृतिक समिति के संयोजक डॉ. विकास शुक्ल, श्रीमती प्रेक्षा नाईक, डॉ. राजेश मिश्रा, डॉ. सरिता दीक्षित, डॉ. संतोष शर्मा, डॉ. निवेदिता पांचाल ने गीत गाए, डॉ. संगीता अग्रवाल, डॉ. योजना तिवारी, पुण्डरीक सिंह एवं कस्तूर ने राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत भजन प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में डॉ. मंदाकिनी शर्मा, डॉ. दीपि नारंग ने कविताएं प्रस्तुत कीं। डॉ. राकेश करहेरिया, दीप सिंह तोषर इत्यादि प्राध्यापकों ने कहानी एवं चुटकुले सुनाए।

संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुए प्रॉपर्टी कारोबारी

ग़ालियर। दोस्त से मिलने की कहकर निकला प्रॉपर्टी कारोबारी संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया। घटना कपू इलाके की है। परिजनों द्वारा हर संभावित स्थान पर तलाश करने के बाद भी जब कारोबारी का कुछ पता नहीं लगा, तो उन्होंने थाने पहुंचकर सूचना दी। जहां पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। कपू थाना क्षेत्रांतर्गत गढ़े वाला मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय अशोक यादव प्रॉपर्टी कारोबार के साथ ही सनानत मॉर्मेंट में सिस्टरिटी गार्ड के रूप में कार्य करते हैं। बीती दोपहर दो बजे लगभग वह दोस्त से मिलने जाने की कहकर घर से अपनी बाइक क्र. एमपी 30 एमए पर सवार होकर निकले थे।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग़ालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 20, वार्ड क्रं 48, भवन क्रं 594 का भाग, स्वामि कदम साहब का बाड़ा मामा का बाजार, 50 म स्थित है जो कि भाग्या कर्मिचा, कोमल सोनिया, सांवीली कुकरजा के नाम से नगर निगम में आई थी। क्रं 9000168795 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड सिक्क पत्र क्रं R-01112501586570 फिन क्रं 10.11.2025 प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिक एवं अन्य उपकरण की वस्तुओं की पूर्ति नामांकन आवेदन जन्मिज समाधान क्रं 20/12/2025 पर किया गया है। जिसका ऑनलाइन आवेदन क्रं PT40913 प. क्रं. 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग़ालियर सिटी सेंटर में स्थित संपत्तिक विभाग कक्ष क्रं. 205, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। निवत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम व पता-
अजय बिरला/काज प्रसाद बिरला
पता-मार्कोण्ड खाने के पास लखर गण्ड(म.प्र.),
मो. 9303326868
दिनांक जारी दिनांक-17.01.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग़ालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 24, वार्ड क्रं 65, स्थान अजयपुर ग्वा0 मे स्थित है जो कि मुखिया/लालाराम कुरवाह के नाम से नगर निगम में आई थी क्रं 1001369713 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 625 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड सखं क्रं 254 दिनांक 20.10.2000 प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिक एवं अन्य उपकरण की वस्तुओं हेतु नामांकन आवेदन जन्मिज समाधान क्रं 20/12/2025 पर किया गया है। जिसका ऑनलाइन आवेदन क्रं PT40913 प. क्रं. 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग़ालियर सिटी सेंटर में स्थित संपत्तिक विभाग कक्ष क्रं. 205, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। निवत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम व पता-
राजकुमार बायम गौड़/रामविलाश बायम गौड़
पता-अजयपुर गण्ड(म.प्र.), मो. 626610988
दिनांक जारी दिनांक-17.01.2026

नाम परिवर्तन सूचना

में रानी गुप्ता (RANI GUPTA) पत्नी श्री विनोद गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम प्रतीभा गुप्ता (PRATIBHA GUPTA) था जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में लिखा गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरी रानी गुप्ता पत्नी श्री विनोद गुप्ता के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाऊंगी। जो मेरे शासकीय अदशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। रानी गुप्ता एवं प्रतीभा गुप्ता दोनों मेरे ही नाम हैं अतः मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम प्रतीभा गुप्ता के स्थान पर रानी गुप्ता लिखा एवं पदा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित है।
पूर्व नाम-प्रतीभा गुप्ता
वर्तमान नाम-रानी गुप्ता पत्नी श्री विनोद गुप्ता
पता--आर्या मानदेसरी स्कूल के सामने, देवदर कॉलोनी चौक, डवरा, ग़ालियर, म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

में प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामदेव सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम दुर्लभ प्रसाद (DURLAB PRASAD) है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरा नाम देव कुमार (DEV KUMAR) लिखा गया है जो कि गलत है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को दुर्लभ प्रसाद पुत्र श्री प्रमोद कुमार के नाम पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा। जो मेरे पुत्र के शासकीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अतः मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम देव कुमार के स्थान पर दुर्लभ प्रसाद लिखा एवं पदा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित है।
सुचनाकर्ता
प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामदेव पता-- रीषा विहार स्कूल के पास, नरसिंह नगर, झौरी, ग़ालियर, म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

में छाया धनोतिया (CHHAYA DHANOTIYA) पत्नी श्री आश्रय धनोतिया सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम सरला मुजवदिया (SARLA MUJAWDIYA) का नाम लिखा गया है जो कि गलत है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरी छाया धनोतिया पत्नी श्री आश्रय धनोतिया के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाऊंगी। जो मेरे शासकीय अदशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अतः मेरे आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम सरला मुजवदिया के स्थान पर छाया धनोतिया लिखा एवं पदा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित है।
सुचनाकर्ता
पूर्व नाम-सरला मुजवदिया
वर्तमान नाम-छाया धनोतिया
पत्नी श्री आश्रय धनोतिया पता-- 24-ए अनूपगंगा नगर, पोस्ट सुन्दर नगर, इंदौर म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

में गजराज धाकड़ (GAJRAJ DHAKAR) पुत्र श्री जयवंत धाकड़ सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम सुरेश सिंह धाकड़ (SURESH SINGH DHAKAD) था जो आधार कार्ड में लिखा गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को सुरेश सिंह धाकड़ पुत्र श्री जयवंत धाकड़ के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं जाऊंगा। जो मेरे शासकीय अदशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुरेश सिंह धाकड़ के स्थान पर गजराज धाकड़ लिखा एवं पदा जावे। आम जन एवं सर्वजन सूचित है।
सुचनाकर्ता
प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामदेव पता-- रीषा विहार स्कूल के पास, नरसिंह नगर, झौरी, ग़ालियर, म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

में हरिओम सैन (HARIOM SAIN) पुत्र श्री कोमल प्रसाद सैन सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम हरिओम सैन है। मेरे शासकीय प्रमाण पत्र में मेरा नाम मालती से इतिहास इत्यतिग में हरिओम सैन (HARIOM SEN) SEN लिख गया है जो कि गलत है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में हरिओम सैन (HARIOM SAIN) SAIN के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा। जो शासकीय अदशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अतः मेरे शासकीय प्रमाण पत्र के इतिहास इत्यतिग में मेरा नाम हरिओम सैन (HARIOM SEN) SEN के स्थान पर हरिओम सैन (HARIOM SAIN) SAIN लिखा एवं पदा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित है।
सुचनाकर्ता
हरिओम सैन पुत्र श्री कोमल प्रसाद सैन पता-- डाक बंगला रोड, कलार बाग बगई कॉलोनी, शिवपुरी म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

में रुक्मिणी सिंह (RUKMINDRA SINGH) पुत्र श्री जयान सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम लवकुश सिंह (LOVEKUSH SINGH) था। जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरी रुक्मिणी सिंह पुत्र श्री जयान सिंह के नाम पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं जाऊंगा। जो मेरे शासकीय अदशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अतः मेरे आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम लवकुश सिंह के स्थान पर रुक्मिणी सिंह लिखा एवं पदा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित है।
सुचनाकर्ता
पूर्व नाम-लवकुश सिंह
वर्तमान नाम-रुक्मिणी सिंह
पुत्र श्री जयान सिंह
पता-- ग्राम मुन्नापुरा गाँवा, मुरार, ग़ालियर, म.प्र.

गाड़ी स्टार्ट की तब पता चला कि भैंस खोल ले गए चोर

ग़ालियर। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के ग्राम थर में दो दिन पहले दुस्साहसी चोर लोडिंग ऑटो में गाँडा (मवेशी बांधने का स्थान) से चार भैंस खोल ले गए। मवेशी मालिक को चोरी होने का पता तब चला जब चोरों ने लोडिंग वाहन को स्टार्ट किया। घर के पास से आधी रात को गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आते ही मवेशी मालिक तुरंत वहां पहुंचा लेकिन तब तक चोर अपना काम कर चुके थे। पुलिस ने चोरों के खिचका मामला कायम कर लिया है। राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम थर पुरानी छावनी ने अपने मवेशी गाँडा में बांधे हुए थे। 14 जनवरी को रात को लोडिंग वाहन लेकर कुछ चोर वहां पहुंचे और बांधे हुए मवेशी को खोलकर गाड़ी में चढ़ा लिया।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग़ालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 स्थान अश्वी ग्रीन सिटी में स्थित है। जो कि जितेंद्र सिंह भदौरिया/स्व. श्री राजपाल सिंह भदौरिया के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000170503 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड सिक्क पत्र एमपी 142602021ए/1596618 दिनांक 19/07/2021 द्वारा प्राय/उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिक एवं अन्य उपकरण की वस्तुओं की पूर्ति नामांकन आवेदन जन्मिज समाधान क्रं. ... पर दिनांक 14/01/2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 74/2010/65034/65112 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग़ालियर सिटी सेंटर में स्थित संपत्तिक विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। निवत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम/पता
सौम्या शर्मा/नीलेश शर्मा
पता: अर्धन ग्रीन सिटी, ग़ालियर म.प्र.
मो-व- 7415666122

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग़ालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रमांक 20 वार्ड क्रमांक 48 स्थान 1222 का भाग, भीसेले साहब का बाड़ा में स्थित है जो कि बेबीती जादव, नीरज उर्फ नीरद, उपेन्द्र जादव, हरीश/स्व. गोरमल जादव के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000168805 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 480 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड सिक्क पत्र एमपी 142602020ए/1727715 दिनांक 05/11/2020 द्वारा प्राय/उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिक एवं अन्य उपकरण की वस्तुओं की पूर्ति नामांकन आवेदन जन्मिज समाधान क्रं. ... पर दिनांक 14/01/2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 74/2010/65034/65112 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग़ालियर सिटी सेंटर में स्थित संपत्तिक विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। निवत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम/पता
राहुल सैनी/पुनवदन सैनी
पता: 1222 का भाग, भीसेले साहब का बाड़ा, ग़ालियर म.प्र.
मो-व- 7711005291

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग़ालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 स्थान सती बिहार, जगनापुरा में स्थित है। जो कि जाकिर अली/फाईमा अली के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000171839 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 830 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड सिक्क पत्र एमपी 21/जीआर 17402025ए/101151013 दिनांक 16/12/2025 पर प्राय/उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिक एवं अन्य उपकरण की वस्तुओं हेत